न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 125 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार समदड़ी	1. मांगीलाल पुत्र सवाराम 2. धर्माराम पुत्र मगनाराम 3. गोवरराम पुत्र मगनाराम 4. भगाराम पुत्र मगनाराम 5. गजरोदेवी पत्नी मगनाराम 6. तेजाराम गोदपुत्र गीलाराम 7. नेमाराम पुत्र लिखमाराम जाति चौधरी निवासी जेठन्तरी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर 8. भूमि विकास बैंक बालोतरा जरिये शाखा प्रबन्धक 9. एसवीआई शाखा समदडी जरिये शाखा प्रबन्धक

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 13 / 2016 बअनवान मांगीलाल बनाम तहसीलदार समदड़ी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06. 06.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—25.10.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा जेठन्तरी का दुबारा सेटलमेंट संवत 2024 में होने पर पुराने खसरे के नये खसरे सेटलमेंट अधिकारी द्वारा तैयार किये गये जिसमें खसरा संख्या 241 / 1, 241 / 2 व 241 / 3 रकबा क्रमशः 11.08, 15.13, 06.06 के नये खसरे खसरा संख्या 637 रकबा 31.18 बीघा इसी प्रकार पुराने खसरे241 / 4, 241 / 5 रकबा क्रमशः01.09 बीघा के नये खसरे 638 रकबा 06.06 बीघा तथा पुराने खसरे 242 व 242 मी. रकबा 01.01 बीघा के नये खसरे संख्या 639 व 340 रकबा 00.01 बीघा व 01.06 बीघा इसी प्रकार पुराने खसरे 241 / 6, 241 / 7, 241 / 8, 243 / 1, 243 / 2, 244 व 246 रकबा 07.10, 0. 19, 06.11, 18.15, 0.07, 0.09 व 26.16 के नये खसरे 641 रकबा 31.17 बीघा तथा पुराने खसरे संख्या 244 रकबा 06.04 बीघा के नये खसरा 642 रकबा 04.13 बीघा

25/X/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

भूमि बने। वादीगण द्वारा नये खसरों के इन्द्राज के वक्त वादीगण के भूमि में से ही रास्ते की भूमि काट कर नया खसरा दर्ज किया गया जबकि कि मौके पर उक्त भूमि वादीगण के कब्जे की है जिसकी घोषणा हेतु वदीगण ने अधिकारी घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती के अनुतोष का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय श्री सहायक कलक्टर सिवाना के समक्ष पेश किया गया, जिस पर अपीलकर्ता प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई उसके बावजूद भी प्रतिवादी ने अपनी विस्तृत मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की फिर भी अदालत मातहत द्वारा अपीलकर्ता के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध जाकर पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है न ही कोई अभिलेखीय कब्जा साबित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 06.06.2022 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के संबंध में कोई गौर न कर मनमानी तरंग पर गलत तरीके से उक्त प्रार्थना–पत्र में आदेश पारित किया। अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक है जिसके संबंध में विधि के तहत नोटिस देना अनिवार्य होता है लेकिन रेस्पोडेंटस ने उक्त कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर, बिना स्टेटचूटरी नोटिस दिये, बिना कानूनी प्रावधानों की पालना किये गलत तौर से उक्त दावा डिक्री कर दिया। वक्त सेटलमेंट 2009 में वादी के खाते में दर्ज भूमि से भी अधिक भूमि द्वितीय सेटलमेंट संवत 2024 में उतरदाता को खातेदारी दी गई। अपीलाधीन आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमियां की श्रेणी में आती है जिसमें धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते की भूमि की खातेदारी घोषणा नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेंटस/वादीगण अतिक्रमी व्यक्ति है तथा उक्त सरकारी भूमि को हड़पने की मंशा से उक्त गलत दावा पेश किया है तथा रेस्पोडेंट का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है तथा बिना अपीलकर्ता को कानूनी नोटिस दिये कानूनी आज्ञापक प्रावधानों का घोर उल्लंघन कर, सरकारी भूमि को हड़पने का षडयंत्र किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

25/7/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। खालसा ग्राम जेठन्तरी का दुबारा सेटलमेंट संवत 2024 में होने पर पुराने खसरे के नये खसरे सेटलमेंट अधिकारी द्वारा तैयार किये गये जिसमें खसरा संख्या 241/1, 241/2 व 241/3 रकबा क्रमशः 11.08, 15.13, 06.06 के नये खसरे खसरा संख्या 637 रकबा 31.18 बीघा इसी प्रकार पुराने खसरे241/4, 241/5 रकबा क्रमशः01.09 बीघा के नये खसरे 638 रकबा 06.06 बीघा तथा पुराने खसरे 242 व 242 मी. रकबा 01.01 बीघा के नये खसरे संख्या 639 व 340 रकबा 00.01 बीघा व 01.06 बीघा इसी प्रकार पुराने खसरे 241/6, 241/7, 241/8, 243/1, 243/2, 244 व 246 रकबा 07. 10, 0.19, 06.11, 18.15, 0.07, 0.09 व 26.16 के नये खसरे 641 रकबा 31.17 बीघा तथा पुराने खसरे संख्या 244 रकबा 06.04 बीघा के नये खसरा 642 रकबा 04.13 बीघा भूमि बने। वादीगण द्वारा नये खसरों के इन्द्राज के वक्त वादीगण के भूमि में से ही रास्ते की भूमि काट कर नया खसरा दर्ज किया गया जबकि कि मौके पर उक्त भूमि वादीगण के कब्जे की है। पुरानी जरीब 132X132 = 17424 वर्गफीट से दुबारा संवत 2024 में हुए सेटलमेंट में जरीब 165X165 = 27225 वर्गफीट से नया सेटलमेंट हुए, जिसमें पुराना 1.11 बीघा = नया 01 बीघा के पैमाईश नाप से नया रकबा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। संवत 2024 में हुए सेटलमेंट में सेटलमेंट अधिकारियों का पुराने रेकर्ड में किये गये इन्द्राज को नये पेमाईश माप से इन्द्राज करना था, सेटलमेंट अधिकारियों का बिना सक्षम न्यायालय के बगैर किसी खातेदार काश्तकार की खातेदारी भूमि को कटोति करने तथा उस पर से खातेदारी हक समाप्त कर अन्य खातेदार को खातेदारी हक प्रदान का कोई अधिकार नहीं था, अगर सेटलमेंट अधिकारियों ने ऐसा किया है तो उनका कृत्य बिना क्षेत्राधिकार के होने से अवेध व शून्य है ऐसा इन्द्राज Nullity है। अपीलाधीन आराजी पर कब्जा काश्त रेस्पोडेंटस/वादीगण का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे। उतरदाता के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2008(1) Page 151
RRT 2001(1) Page 244

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। अपलार्थी एक सरकारी विभाग है आदेश की जानकारी होने पर आदेश की नकल लेकर अपील प्रस्तुत करने हेतु उच्च अधिकारियों से अनुमति लेना आवश्यक

27/7/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है जिस हेतु अपीलार्थी को अनुमति देरी से मिली। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पालना हेतु मुझ अपीलकर्ता के समक्ष प्रस्तुत हुई तब उक्त निर्णय दिनांक 06.06.2022 का ज्ञान होने पर दिनांक 04.07.2022 को पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 सी पी सी पेश कर दिया था लेकिन अदालत मातहत द्वारा दिनांक 29.08.2022 को उक्त पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज कर दिया तब मैने एस डी एम कोर्ट सिवाना जाकर नकले की मांग की, जिस पर नकले दिनांक 06.10.2022 को प्राप्त हुई जिस पर नकल प्राप्ती की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की गई। अपील पेश करने में अपीलांटस द्वारा जानबुझकर कोई देरी नहीं की गई। अतः अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर वहस करते हुए बताया कि तहसीलदार समदड़ी ने सहायक कलक्टर सिवाना के निर्णय दिनांक 06.06.2022 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील करीब 04 माह वाद पेश की है जो कि म्याद बाहर है। अपीलांट को निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 06.06.2022 से रही हैं। रेस्पोडेंट द्वारा तहसीलदार समदड़ी के समक्ष निर्णय एवं डिक्री की पालना करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांटस द्वारा अपील पेश करने में हुए विलंब के एक एक दिन का हिसाब नहीं बताया गया। इसलिए अपील अपीलांट परिसीमा अधिनियम के सुस्थापित सिद्धान्त विलम्ब संतोषजनक ढंग से नहीं होने एवं प्रशासनिक स्वीकृति मंजूर करने का सद्भावी आधार नहीं होने से अपील पेश करने में सुदीर्घ विलंब हुआ है। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मातहत अदालत द्वारा हस्तगत प्रकरण में दो तनकीयात कायम की गई जिसे जिम्मेवादी रखा गया। वादीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा उपरोक्त तनकीयात को साबित करने हेतु अपने पक्ष में वादी साक्ष्य पी डब्लयू 1 मांगीलाल व पी.डब्लयू 2 तेजाराम के बयान कलमबद्ध करवाये जाकर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। प्रदर्श–1 अपीलाधीन

25/1/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आराजी बाबत सेटलमेंट से पूर्व स्टेट समय का दस्तावेज खतौनी संवत् 1982, प्रदर्श–3 सेटलमेंट की खतौनी संवत 2018–21 व प्रदर्श–4 खतौनी संवत 2022–2025 पेश किया गया जिसमें अपीलाधीन आराजी वादीगण के हकपूर्वाधिकारी नेनीया पुत्र लखमा, सवीया, मंगनीया, गलीया पिता चेना 1/2 हिस्सा व जेठा पुत्र रामा तथा तुलछा पुत्र खंगारा 1/2 हक हिस्से के तौर पर दर्ज है। अपीलाधीन आराजी का दुबारा सेटलमेंट संवत 2024 में होने पर दस्तावेज प्रदर्श 16 से प्रदर्श 18 के अनुरूप नये खसरे के पुराने खसरे बनाते हुए राजस्व रेकर्ड में भूमि अमलदरामद की गई जिसमें पुराने खसरे 241/1, 241/2, 242/3 के नये खसरा 637, खसरा संख्या 241/4, 242/5 के नये खसरे 638, खसरा संख्या 242 के नये खसरे 639 खसरा संख्या 241/6, 241/7, 242/8, 243/1, 243/2, 244 व 246 के नये खसरे 641 व खसरा संख्या 244 के नये खसरे 642 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये। जो पुराने खसरे के नये खसरे वनाये जाकर वादीगण के हकपूर्वाधिकारियों के नाम से दर्ज है। सैटलमेंट द्वारा गलत रूप से विना किसी आधार के बिना कोई सक्षम न्यायालय के आदेश के उसको मनमाने तरीके से कमी की गई हैं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2016 बअनवान मांगीलाल बनाम तहसीलदार समदड़ी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

25.X.23

(मंगलाराम बूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 25.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर